भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या **84B/2017-18**

रंजीत तांती बनाम **मटुराम महतो**

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15.9.2017		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 525 दिनांक 18.07.2017 द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 84 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता रंजीत तांती पिता–स्व0 हाडु तांती, ग्राम–तुमुंग, थाना–राजनगर, जिला– सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता मटुराम महतो, पिता– महाराय महतो, ग्राम– तुमुंग, थाना–राजनगर, जिला– सरायकेला–खरसावाँ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
तुमुंग	79	128	920	0.03 ए0
			921	0.07 ए0
			कुल	0.10 ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पिता हाडु तांती पिता राधा तांती के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। बिक्री की जाने वाले भूमि में बिक्रेता का हक एवं हिस्सा 3.50 ए0 भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की आंशिक जमीन की बिक्री हेतु आवेदन किये हैं, जिसमे से 0.10 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 3.40 ए0 एकड़ भूमि शेष बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'तांती' एवं 'कुर्मी ' जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.10 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/09/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।